



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 112 / SEIAA/2022

Date: 9/4/22

प्रति,
कलेक्टर,
जिला छतरपुर (म.प्र.)


विषय:- प्रकरण क्रमांक 6512/ 2019 मेसर्स एकता ग्रेनाईट ग्रेनाईट स्टोन माइन, खसरा नं. 410. रकबा 3100 हेक्टेयर उत्पादन क्षमता 2,50,000 मी एवं प्रकरण क्रमांक 5974/2019. खसरा न 410 रकबा 4.00 हेक्टेयर उत्पादन क्षमता 1.50,000 मी ग्राम चुरियारी तहसील गौरीहार जिला छतरपुर के पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रकरण में ईमेल से प्राप्त शिकायत के संबंध में।

संदर्भ:- 1. श्री पी.के. साही (एडवोकेट) पर्यावरण शक्ति फाउंडेशन दीनदयाल उपध्याय मार्ग नई दिल्ली - 110002, का ईमेल दिनांक 26.03.2022
2. सिया कार्यालय का पत्र क्र 3319 दिनांक 11.03.2022

उपरोक्त विषयातर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा मेसर्स एकता ग्रेनाईट के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के 02 आवेदनों के संबंध में ग्राम चुरियारी के श्री पी.के. साही (एडवोकेट) पर्यावरण शक्ति फाउंडेशन दीनदयाल उपध्याय मार्ग, नई दिल्ली के द्वारा शिकायत की गई है कि प्रकरण में अवैध उत्खनन, खदान के पास मानव बसाहट एवं प्रकरण में जनसुनवाई के दौरान ग्रामवासियों की आपत्ति/विरोध को नहीं सुना गया है। प्रकरणों की शिकायत सिया कार्यालय में प्राप्त हुई है। (शिकायत पत्र की छायाप्रति संलग्न) इस संबंध में पूर्व में भी सिया कार्यालय द्वारा पत्र क्र 3319 दिनांक 11.03.2022 को भेजा गया है, जिसकी जानकारी आज दिनांक तक अपेक्षित है।

अतः उपरोक्त प्रकरणों में प्राप्त शिकायत अनुसार परिक्षण करवाकर की गई कार्यवाही से SEIAA कार्यालय को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

सलग्न:-उपरोक्तानुसार



(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 113 /SEIAA/2022
प्रतिलिपि:-

दिनांक - 9/4/22



श्री पी.के. साही (एडवोकेट) पर्यावरण शक्ति, दीनदयाल उपध्याय मार्ग नई दिल्ली-110002, को सूचनार्थ।


सदस्य सचिव

